



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9133

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30199 वर्ष 2025

रूपेश उर्फ रूपेंद्र

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सौरभ पांडे, सुरेश चंद्र पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, विनय कुमार त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ पांडे, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. त्रिपाठी और राज्य के विद्वान एजीए श्री घन श्याम मिश्रा की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 194/2024, धारा 302 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन खैर, जिला अलीगढ़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और उनकी पहली जमानत याचिका दिनांक 9.4.2025 के आदेश द्वारा इस तथ्य पर विचार करते हुए खारिज कर दी गई थी कि आवेदक मृतक का पोता है और आरोप के अनुसार, उसने अपने दादा को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। लेकिन वह इस दूसरी जमानत याचिका पर इस आधार पर जोर दे रहा है कि इस मामले में वह 24.4.2024 से यानी पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से जेल में है और आज तक 20 गवाहों में से केवल 3 की ही गवाही हो सकी है।

4. उन्होंने आगे कहा कि सभी तथ्यों के गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, इसलिए, यदि आवेदक को जमानत पर रिहा भी कर दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

5. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का 6 अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, लेकिन उनके आपराधिक इतिहास को इस जमानत याचिका में विधिवत स्पष्ट किया गया है।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदक ने अपने दादा को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का 6 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें आईपीसी की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 302 के तहत एक मामला भी शामिल है। इसलिए, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केवल डेढ़ वर्ष से अधिक कारावास के आधार पर, उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए और यह जमानत याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

8. यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और उसकी पहली जमानत याचिका इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दी गई थी कि आरोप के अनुसार, आवेदक ने अपने दादा को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने मुख्य रूप से 2 आधारों पर यह जमानत याचिका दायर की है; पहली बात तो यह है कि इस मामले में आवेदक पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से जेल में है और अब तक 20 गवाहों में से केवल 3 की ही जांच हो सकी है। दूसरी बात यह है कि सभी तथ्यात्मक गवाहों की जांच हो चुकी है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। भले ही आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

9. आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, मैं उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

10. अतः, उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह दूसरी जमानत याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

11. अतः, यह जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12 जनवरी 2026

एस.ए.

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।